न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 00369/2016 **दायरा दिनांक : 13.07.2016**

उनवान

धूलीबाई पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण, जाति किराड, आयु 60 साल, निवासी कोयला, तहसील बारां, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– अमरलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति किराड, निवासी ग्राम लिसाडिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज0
2– सुमित्रा बाई पुत्री श्री अमरलाल पत्नी श्री मथुरालाल, जाति किराड, निवासी कराडिया, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
3– दुलका बाई पुत्री अमरलाल पत्नी श्री रामबिलास, जाति किराड, निवासी लिसाडिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज0
4– कौशल्याबाई पुत्री अमरलाल पत्नी श्री बद्रीलाल, जाति किराड, निवासी नियाना, तहसील व जिला बारां राज0
5– बंशीलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति किराड, निवासी ग्राम कोयला, तहसील बारां, जिला बारां राज0
6– श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री रमेशचन्द्र, जाति किराड, निवासी कोयला, तहसील बारां हाल निवासी तेल फेक्ट्री बारां, जिला बारां राज0
7– गोविन्द पुत्र श्री रमेशचन्द्र, आयु 17 साल नाबालिग
8– शिल्पा आयु 15 साल पुत्री रमेश चन्द्र नाबालिग
9– बिन्दु आयु 13 वर्ष पुत्री रमेश चन्द्र नाबालिग
जरिये वली संरक्षक श्रीमति सुलोचना माता पत्नी श्री रमेश चन्द्र, जाति किराड, निवासी कोयला, तहसील बारां हाल निवासी तेल फेक्ट्री बारां, जिला बारां
10– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अरविन्द सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 6, 7, 8, 9 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.12.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 28/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2010 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण बंशीलाल, धूलीबाई, श्रीमती सुलोचना, गोविन्द, शिल्पा, बिन्दु ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि वाके माल ग्राम कोयला तह० बारां के हाल खसरा नम्बर 597 क्षेत्रफल 2.33 हेक्टर, किस्म माल ।।, खसरा नम्बर 661 क्षेत्रफल 0.23 हेक्टर किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 669 क्षेत्रफल 0.29 हेक्टर किस्म चाही 2 कुल किता 3 रकबा 2.85 हेक्टर स्थित है जो वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के संयुक्त खाते की पैतृक आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2010 से वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति विलेख (बंटवारा प्रस्ताव) अनुसार वादी बंशीलाल पुत्र हीरालाल किराड, ग्राम कोयला, तहसील बारां खसरा नम्बर 661 रकबा 0.23 हेक्टर व मि0 नं0 597 रकबा 1.08 हेक्टर पश्चिम की कुल 2 किता 1.31 हेक्टर वादी क्रम 4 गोविन्द पुत्र रमेश चन्द्र ना0 बा0 खसरा नम्बर 669 रकबा 0.29 हेक्टर, मि. नं. 597 रकबा 0.57

हेक्टर पूर्वी कुल 2 किता 0.86 हेक्टर, वादी कम 5 शिल्पा पुत्री रमेश चन्द ना0 बा0 मि0 नं. 597 रकबा 0.22 हेक्टर, वादी कम 6 बिन्दु ना0 बा0 पुत्र रमेश चन्द्र किराड, खसरा नम्बर मि. 597 रकबा 0.22 हेक्टर व प्रतिवादी 2 सुमित्रा पुत्री अमरलाल किराड खसरा नं. 597 रकबा 0.12 हेक्टर व प्रतिवादी 4 कौशल्या बाई पुत्री अमरलाल किराड मि. नं. 597 रकबा 0.12 हेक्टर बंटवारा कर पृथक पृथक खाते दर्ज करने एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये गये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वाके ग्राम कोयला, तहसील बारां, जिला बारां राज0 में हाल खसरा नं0 597 का रकबा 2.33 हेक्टर किस्म माल द्वितीय, खसरा नं0 661 का रकबा 0.23 हेक्टर किस्म चाही द्वितीय खसरा नं0 669 का रकबा 0.29 हेक्टर किस्म चाही द्वितीय कुल किता 3 कुल रकबा 2.85 हेक्टर स्थित है। जिसमें अपीलान्ट का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्टा का रेस्पो० क्रमांक 6 ता 9 बारां यह कहकर लेकर आये थे कि जमीन पर लोन लेना है और लाकर अपीलांट के अदालत में निशानी अंगूठा करवा कर एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए व धारा 53 व 188 राज0 टी0 एक्ट का पेश कर दिया था। जिसकी अपीलान्टा को कोई जानकारी आज तक भी नहीं है और उक्त वाद पत्र में अधीनस्थ न्यायालय ने एक राजीनामा भी प्रस्तुत कर दिया जिसकी भी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं है। अपीलांटा की उपरोक्त वर्णित आराजियात पर अपीलान्ट ही काबिज काश्त करती चली आ रही है। नकल लेने पर हल्का पटवारी से जानकारी होने पर अपीलान्टा ने अधीनस्थ न्यायालय व जिला रिकार्ड बारां में नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिससे अपीलान्टा को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई कि अपीलान्टा का नाम अपने हिस्से की आराजियात पर से नाम हटा दिया गया है व अपीलांट के हिस्से की आराजियात पर रेस्पो० क्रमांक 6 ता 9 ने अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा दिया है। जबकि अपीलान्टा ने कोई राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। उपरोक्त वर्णित आराजियात पैत्रृक है व अपीलान्टा को विरासतन प्राप्त हुई है। अपीलान्टा ने उपरोक्त वर्णित आराजियात में से अपना हिस्सा न तो किसी के नाम तर्क किया है और ना ही कोई राजीनामा पेश किया है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून खिलाफ व पत्रावली पर आये तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2010 निरस्त फरमाया जाये व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में खोला गया इन्तकाल नं0 1407 दिनांक 23.07.2010 निरस्त फरमाया जाकर पूर्व के अनुसार राजस्व रिकार्ड में 1/8 हिस्से पर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। रेस्पो० क्रमांक 1 ता 9 को पाबन्द फरमाया जाये कि वह अपीलान्ट के कब्जे काश्त व हिस्से की 1/8 हिस्सा आराजी पर अपीलान्ट को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा दौराने अपील उक्त आराजियात को किसी प्रकार से रहन, बेचान, मुन्तकिल आदि नहीं करें।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना घत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.06.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के

गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अंतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7 बहस विद्वान अभिाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

8 दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/8 हिस्सा है। रेस्पोडेंट क्रम 6 लगायत 9 अपीलांट को यह कहकर बारां लेकर आये थे कि जमीन पर लोन लेना है और अपीलांट की अदालत में अंगूठा निशानी करवाकर एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर दिया, जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी आज तक भी नहीं है। उक्त वाद पत्र में अधीनस्थ न्यायालय में एक राजीनामा भी प्रस्तुत कर दिया जिसकी भी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं है। राजीनामे के आधार पर अपीलांट के हिस्से की आराजी को रेस्पोडेंट क्रमांक 6 लगायत 9 ने अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया है, जबकि अपीलांट ने कोई राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है। उपरोक्त वर्णित आराजी पैतृक है व अपीलांट को विरासतन प्राप्त हुयी है। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा न तो किसी के नाम तर्क किया है और ना ही कोई राजीनामा पेश किया है। राजीनामे पर अंकित अंगूठा निशानी अपीलांट धूलीबाई की नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून खिलाफ व पत्रावली पर आये तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

9 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट नं. 7 गोविन्द पुत्र रमेश अपीलांट धूलीबाई के पुत्र रमेश का नाबालिक पुत्र है। अपीलांट ने स्वयं वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे के द्वारा पौत्र गोविन्द के नाम दर्ज कराया है। राजीनामे पर धूलीबाई की अंगूठा निशानी है। राजीनामे की अपील मेन्टेनेबल नहीं है।

10 बहस पर मनन करने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलांट धूलीबाई व अन्य द्वारा वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92(ए), 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट धूलीबाई व अन्य द्वारा प्रस्तुत घोषणा व बंटवारे के इस वाद में सभी वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल फाईल है। अधीनस्थ न्यायलय में प्रस्तुत राजीनामे पर सभी पक्षकारों की अंगूठा निशानी अंकित है और पहचानकर्ता में उभयपक्ष के अधिवक्तागण के हस्ताक्षर अंकित है। राजीनामा दिनांक 15.05.2009 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में स्वयं उपखण्ड अधिकारी, बारां के समक्ष पेश होने पर राजीनामे को तस्दीक करते हुए यह रिपोर्ट अंकित की गई है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा पढ़कर सुनाया गया, जिसे पक्षकार ने स्वयं के द्वारा लिखा जाना एवं सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट ने एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री विरेन्द्र गौतम एडवोकेट ने की। राजीनामा बाद जॉच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इस रिपोर्ट पर स्वयं उपखण्ड अधिकारी, बारां के हस्ताक्षर अंकित है। इस राजीनामे में स्वयं अपीलांट धूलीबाई ने अपना 5/48 हिस्सा नाबालिक गोविन्द वादी क्रम 4 के पक्ष में हक त्याग करना अंकित है। उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत इस राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को निर्णीत कर दिनांक 23.05.2009 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 07.05.2010 को निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की गई।

11 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 96 (3) सी पी सी के अनुसार पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्ण्य व डिक्री दिनांक 07.05.2010 के विरूद्ध पेश की गई

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2010 उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर पारित की गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई यह अपील धारा 96 (3) सी पी सी के तहत मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है। जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे पर अंकित अपीलांट धूलीबाई की अंगूठा निशानी सही या गलत होने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में अपीलांट सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2010 विधि सम्मत होने से यथावत रखी जाती है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

धूलीबाई पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण, जाति किराड, आयु 60 साल, निवासी कोयला, तहसील बारां, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– अमरलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति किराड, निवासी ग्राम लिसाडिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज0

2– सुमित्रा बाई पुत्री श्री अमरलाल पत्नी श्री मथुरालाल, जाति किराड, निवासी कराडिया, तहसील अटेरू, जिला बारां राज0

3– दुलका बाई पुत्री अमरलाल पत्नी श्री रामबिलास, जाति किराड, निवासी लिसाडिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज0

4– कौशल्याबाई पुत्री अमरलाल पत्नी श्री बद्रीलाल, जाति किराड, निवासी नियाना, तहसील व जिला बारां राज0

5– बंशीलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति किराड, निवासी ग्राम कोयला, तहसील बारां, जिला बारां राज0

6– श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री रमेशचन्द्र, जाति किराड, निवासी कोयला, तहसील बारां हाल निवासी तेल फेक्ट्री बारां, जिला बारां राज0

7– गोविन्द पुत्र श्री रमेशचन्द्र, आयु 17 साल नाबालिग

8– शिल्पा आयु 15 साल पुत्री रमेश चन्द्र नाबालिग

9– बिन्दु आयु 13 वर्ष पुत्री रमेश चन्द्र नाबालिग जरिये वली संरक्षक श्रीमति सुलोचना माता पत्नी श्री रमेश चन्द्र, जाति किराड, निवासी कोयला, तहसील बारां हाल निवासी तेल फेक्ट्री बारां, जिला बारां

10– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील नं 00369 / 2016
मु.द.नं0 28 / 2009

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, बारां
निर्णय व डिक्री दिनांक – 07.05.2010

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **18 माह 10** सन् **2023**

श्री अरविन्द सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 6, 7, 8, 9 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2010 विधि सम्मत होने से यथावत रखी जाती है ।
बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **28 माह 12 सन् 2023** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)